KALAWATI AYURVEDIC MEDICAL COLLEGE & RESEARCH CENTER & HOSPITAL GORHA, KASGANJ (U.P) 207123	
DEPARTMENT	
KAYACHIKITSA	
PANCHKARMA	By the order of District Magistrate letter no.26/S.TD.M2020 dated 26/3/20 Kalawati Ayurvedic Medical College And Research Center & Hospital , Gorha , Kasganj become Quarantine centre COVID-19 Level -1, So no OPD,IPD was done during the period from27/3/20 to 07/02/21
SHALYA	
SHALAKYA	
PRASUTI & STRI ROGA	
KAUMARBHRITTYA	

पत्रांकः 2

विश्व को Pande डिजीज एव संख्या- 19 आपदा प्रबन उपधारा(जी) गया है। अतः राजकीय वि सम्भावित ३ इंस्टीट्यूशनत सैन्टर एण्ड कोविड-19 र उक्त जनपद कास क्वारेन्टाइन हे मरीजों हेतु मे चिकित्साधिका मेडिकल काले लगाना सुनिधि चिकित्साधिका उक्त अ

प्रतिलिपि:-

- 1. जिला मरि
- 2. पुलिस अध
- 3. मुख्य चिवि
- निदेशक / गोरहा, जन्
- 5. समस्त सम

कार्यालय जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

८ / एस०टी०—डी०एम०—2020

दिनांक:- 26 मार्च, 2020

आदेश

व स्वास्थ्य संगठन तथा संयुक्त राष्ट्र द्वारा कोरोना वायरस (COVID-19) संक्रमण mic घोषित करने तथा इस संदर्भ में उत्पन्न स्थिति के परिप्रेक्ष्य में एपिडेमिक ट. 1897 एवं उत्तर प्रदेश महामारी कोविड—19 विनियमावली,2020 एवं शासनादेश २५ / एक—11—200—रा0—11 दिनांक: 24.03.2020 के द्वारा भारत सरकार के घ अधिनियम 2005 सपठित उ०प्र० आपदा प्रबन्धन अधिनियम 2005 की धारा—2 के अन्तर्गत कोविड—19 के कारण फैल रही महामारी को आपदा घोषित किया

जक्तानुसार कोरोना कोविड—19 महामारी से बचाव एवं रोकथाम हेतु जनपद में विकित्सालय के अतिरिक्त अन्य निजी चिकित्सालयों/मेडिकल कालेज की प्रावश्यकता के दृष्टिगत कोविड—19 के संदिग्ध व्यक्तियों के उपचार/ न क्वारेन्टाइन किए जाने हेतु कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च हॉस्पीटल, गोरहा जनपद कासगंज को तत्काल प्रभाव से अधिग्रहीत करते हुए एल—1 चिकित्सालय चिन्हित किया जाता है।

कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, गोरहा गंज का उपयोग आवश्यकता होने पर संदिग्ध मरीजों के उपचार एवं बचाव तथा रेतु किया जाएगा। मेडिकल कालेज के निदेशक क्वारेन्टाइन किए जाने वाले डिकल कालेज भवन में मूल-भूत आवश्यकताएँ उपलब्ध कराएँगे तथा मुख्य री कासगंज प्रशिक्षित राजकीय चिकित्सकों की ड्यूटी कलावती आयुर्वेदिक ज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, गोरहा कासगंज पर आवश्यकतानुसार रैचत करेंगे तथा भर्ती मरीजों के उपचार एवं देखभाल का दायित्व मुख्य री कासगंज का होगा।

ादेश तत्काल प्रभाव से लागू होगा।

(ए०के०श्रीवास्तव) अपर जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

जस्ट्रेट महोदय को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। प्रीक्षक, कासगंज को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु। हत्साधिकारी कासगंज को अनुपालनार्थ। प्रधानाचार्य, कलावती आयुर्वेद मेडिकल कालेज एण्ड रिसर्च सैन्टर एण्ड हॉस्पीटल, नपद— कासगंज को अनुपलानार्थ। बन्धित को आवश्यक कार्यवाही हेतु।

> अपर जिला मजिस्ट्रेट, कासगंज।

का

पत्रांक : मु

प्रधानाचार कलावती गोरहा, ज

विषय: व Ų

अव 03.02.2021 आयुर्वेदिक जाता है। आपके उक

पत्रांक : मु

प्रतिलिपि

- 1. मिशन
- 2. जिला
- 3. अपर f
- 4. मुख्य f 5. जिला

र्यालय : मुख्य चिकित्सा अधिकारी, कासगंज

0चि0अ0 / कोविड-19 / 2020-21 / 9 4 p

दिनाक: 05.02.2021

. आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पीटल नपद कासगंज।

ज्लावती आयुर्वेदिक मेडीकल कालेज एण्ड हॉस्पीटल को कोविड-19 के अन्तर्गत विटव कोरेन्टाइन समाप्त करने के सम्बन्ध में।

गत कराना है कि जिलाधिकारी/अध्यक्ष जिला स्वास्थ्य समिति कासगंज द्वारा दिनांक को आयोजित जिला टास्क फोर्स की बैठक में दिये गये निर्देशों के क्रम में कलावती मेडीकल कालेज एण्ड रिसर्च सेण्टर एण्ड हॉस्पीटल को एक्टिय कोरेन्टाइन से मुक्त किया भविष्य में यदि कोविड—19 के द्रष्टिगत आवश्यकतानुसार पांच दिवस पूर्व सूचना देकर त मेडीकल कालेज को अधिकृत किया जा सकता है।

> मुख्य चिकित्सा अधिकारी कासगंज

)चि0अ0 / कोविड-19 / 2020-21

तददिनांक।

: निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित — निदेशक,एन०एव०एम०, लखनऊ। अधिकारी/अध्यक्ष, जिला स्वास्थ्य समिति, कासगंज। नेदेशक, चिकित्सा स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण, अलीगढ़ मण्डल अलीगढ़। वेकास अधिकारी, जनपद कासगंज। कार्यक्रम प्रबन्धन इकाई जनपद कासगंज।

> मुख्य विकित्सा अधिकारी कासगंज